अपीलार्थी को पत्रांकः न्याय/2018/4010 दिनांकः 15.06.2018 के माध्यम से भी सूचित किया जा चुका है एवं वर्णनांकित किया कि उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांकः 15.05.18 मे वांछित जानकारी अधिनियम अंतर्गत कवर ही नहीं होती है तथापि अपेक्षित कार्यवाही/सूचना हेतु संबंधित विभाग से संपर्क स्थापित करे।''

9. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना दिनांकः 05.10.2011 में वर्णित सेवायें जो राजस्व एवं उप निवेशन विभाग अंतर्गत विधेयक की धारा 3 के तहत सेवाओं की परिधि में ली गई हैं, के अंतर्गत पूर्व में पदाभिहित अधिकारियों को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों पर की गई कार्यवाही बाबत जानकारी उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित नहीं है तथापि पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपने विवेक से उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांकः 15.05.18 में अंकित प्रा0पत्र दिनांकः 10.05.18 पर अपेक्षित कार्यवाही कर सूचित किया जा चुका है।

10. अतः अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं में शुमार नहीं होने के कारण खारिज कर निस्तारित की जाती है एवं साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम में सूचित सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण जानकारी करके ही अपीलें संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। विविध जानकारियों के लिए संविधान में उपलब्ध उपयुक्त मंच के समक्ष परिवाद अथवा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करे।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/127/2018

अपीलार्थी
श्री मेहरचन्द पुत्र अमीचन्द
निवासी–ग्राम व पोस्ट–मूसाखेडा,
तहसील–किशनगढबास, जिला–अलवर (राज0)

बनाम

पदाभिहित अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रवेश तिथि : 28.06.2018
प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011

निर्णय दिनांक: 05.07.18

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. पदाभिहित अधिकारी की ओर से श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक उपस्थित। जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011 के नियम 4 के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक: 15.05.2018 के माध्यम से पूर्व में पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक: 10.05.2018 के परिप्रेक्ष्य में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रति की वांछा की गई थी।
5. प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक: 30.05.2018 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर पदाभिहित अधिकारी को नोटिस क्रमांक: कोर्ट ए.डी.एम. प्रथम/अपील RGDPSA-2011/2018/543–44 दिनांक: 28.06.18 के माध्यम से तलब कर जवाब के साथ इस न्यायालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया।
7. पदाभिहित अधिकारी की ओर से सुनवाई हेतु श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक उपस्थित। जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
8. हमने पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त जवाब एवं अपीलार्थी की प्रथम अपील का अवलोकन किया। पदाभिहित अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर) के पत्रांक: न्याय/2018/4062 दिनांक: 02.07.18 से प्राप्त जवाब अनुसार "अपीलार्थी के उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक: 15.05.18 में वर्णित पूर्व प्रार्थना–पत्र दिनांक: 10.05.18 को पत्रांक: 430–32 दिनांक: 11.05.18 के माध्यम से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया जा चुका है एवं संबंधित विभागों से प्राप्त जवाब/टिप्पणी अनुसार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner